www.thearyasamaj.org

Vol.7 September 2013 No.3
Annual Subscription : Rs 100
Rs. 10/- per copy

ब्रह्मार्पण
BRAHMARPAN

वेदोऽखिलो धर्ममूलम्

A Monthly publication of Brahmasha India Vedic Research Foundation

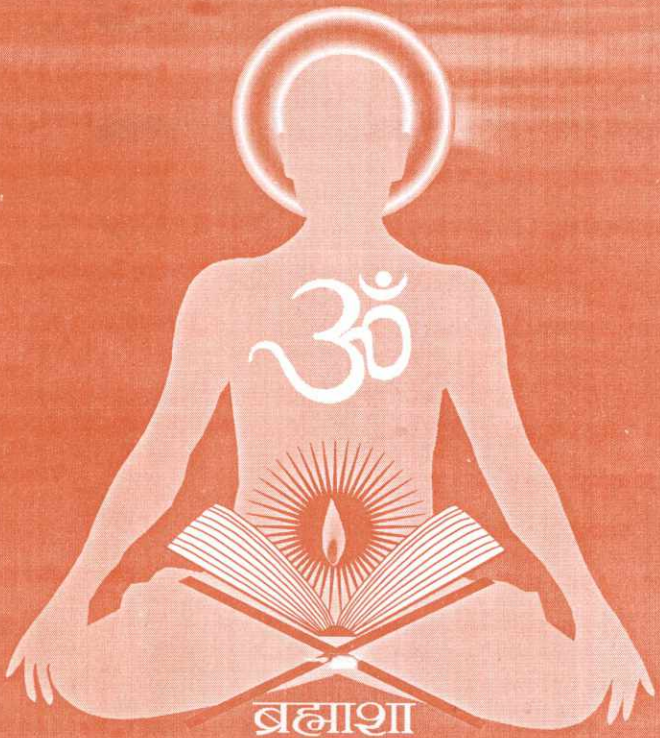

ब्रह्माशा
हिंदी विशेषांक
14 सितंबर

Brahmasha India Vedic Research Foundation
ब्रह्माशा इंडिया वैदिक रिसर्च फाउन्डेशन

www.thearyasamaj.org

संस्कृत : जननी अपनी हिन्दी की

(हिन्दी दिवस पर विशेष)

प्रियवीर हेमाइना
भाषा शिक्षक (देववाणी संस्कृत)

भारत माता के माथे पर,
लगती जो सुन्दर बिन्दी-सी,
भाषा कौन संस्कृत-सम है
जननी जो अपनी हिन्दी की।

संस्कृत राष्ट्र की धरोहर है
आत्मा राष्ट्र की मनोहर है
है यही एकता की भाषा
संस्कृति की उच्च है प्रत्याशा।

संस्कृत-साहित्य सात्त्विक है
लिपि भी इसकी वैज्ञानिक है;
मूल भाषा भारत की यही
है मूर्त रूप में सर्वत्र यही।

संस्कृत साहित्य में ही वर्णित
एक ऐसा दिव्य चिन्तन है;
जो विश्व के वैज्ञानिकों को
शोधार्थ देता सु-मंथन है।

अस्तु! लें सभी संकल्प यही
निज अस्मिता रक्षण के लिए,
"रहेंगे सतत ही यत्नशील
देववाणी-रक्षण के लिए।"

राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय,
बी-ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली-58
मो. 7503070674

www.thearyasamaj.org

Brahmarpan September 2013 Vol. 7 No.3
भाद्रपद-आश्विन 2070 वि.संवत्

ब्रह्मार्पण
BRAHMARPAN

A bilingual Publication of Brahmasha India Vedic Research Foundation

BRAHMASHA INDIA VEDIC RESEARCH FOUNDATION

C2A/58, Janakpuri,
New Delhi-110058
Tel :- 25525128, 9313749812
*email:*deeukhal@yahoo.co.uk
brahmasha@gmail.com
Sh. B.D. Ukhul
Secretary
Dr. B.B. Vidyalankar
President
Col.(Dr.) Dalmir Singh (Retd.)
V.President
Dr. Mahendra Gupta
V.President
Ms. Deepti Malhotra
Treasurer

Editorial Board
Dr. Bharat Bhushan Vidyalankar, Editor
Dr. Harish Chandra
Dr. Mahendra Gupta
Acharya Gyaneshwararya

लेख में प्रकट किए विचारों के लिए सम्पादक उत्तरदायी नहीं है किसी भी विवाद की परिस्थिति में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

Printed & Published by
B.D. Ukhul for Brahmasha India Vedic Research Foundation
Under D.C.P.
License No. F2 (B-39) Press/ 2007
R.N.I. Reg. No. DELBIL/ 2007/22062
Price : Rs. 10.00 per copy
Annual Subscription : Rs. 100.00

CONTENTS

1. संस्कृत : जननी अपनी हिन्दी की
–प्रियवीर हेमाइना 2
2. संपादकीय 4
3. सांख्य दर्शन 7
–डॉ. भारत भूषण विद्यालंकार
4. राजनय, अर्थशास्त्र तथा नीतिशास्त्र के मूर्धन्य ज्ञाता-आचार्य चाणक्य
–डॉ. भवानीलाल भारतीय 8
5. हिन्दी दिवस 10
–इन्द्रदेव गुलाटी
6. हिन्दी : क्या कहता है संविधान 11
–प्रवीण कुमार
7. सरकारी स्तर पर है हिन्दी सिखाने की व्यवस्था 12
–सुनील कटारिया
8. ऋषि दयानन्द और हिन्दी 15
9. हिन्दी सदियों से देश की संपर्क भाषा है 18
–प्रो. चन्द्रप्रकाश आर्य
10. नाम हिन्दी का और काम अंग्रेजी का 21
–डॉ. वेदप्रताप 'वैदिक'
11. संविधान की अस्थायी धारा 370 के हटाने हेतु याचिका खारिज क्यों ? 25
12. गोवध-निषेध और भारत सरकार
–श्री पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति 29
13. A Man to Remember; J.P Narayan 32
-Gopalkrishan Gandhi

www.thearyasamaj.org

संपादकीय

क्या हम हिन्दी को हिंग्लिश होने देंगे?

हिन्दी दिवस के अवसर ब्रह्मार्पण परिवार के सभी पाठकों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ।

हमने 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि स्वतंत्र भारत की अपनी एक राजभाषा होगी जो देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी होगी। आज के दिन हम इस संकल्प को दुहराते हैं कि हम अपने कार्यों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जिस व्यक्ति के मन में देश की राष्ट्रभाषा के लिए गौरव नहीं, अभिमान नहीं वह व्यक्ति पशु के समान है–

"जिसको न निज भाषा गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है।।"

अंग्रेजों ने इस देश पर बहुत समय तक शासन किया और मैकॉले की रणनीति के अनुसार उसने यहाँ की भाषा और संस्कृति के स्थान पर अपनी भाषा और संस्कृति को लोगों पर आरोपित कर दिया। अंग्रेज तो चले गए। कहने को देश आजाद हो गया परन्तु अभी तक हमारी गुलामी की मानसिकता बनी हुई है। हम अपनी भाषा और संस्कृति को भुला कर अंग्रेजियत के रंग में रंगे हैं।

हिन्दी के प्रसार में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के युग में दूरदर्शन, रेडियो, इन्टरनेट आदि तथा विभिन्न समाचार–पत्रों का हिन्दी को जन–जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धीरे–धीरे हमारे हिन्दी के समाचार पत्रों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आधिपत्य हो गया। हमारे ये समाचार–पत्र पहले विचार की पूँजी देते थे अब ये पूँजी के विचार देने लगे हैं, व्यापार–कारोबार की बातें करते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं।

यों तो इतिहास, संस्कृति आदि में सभी भारतीय भाषाएँ आगे हैं परन्तु हिन्दी में राष्ट्रीयता का स्वर सबसे प्रखर है।

www.thearyasamaj.org

भूमंडलीयकरण की दौड़ में सबसे पहले निशाने पर हिन्दी है, क्योंकि यह भारत में संवाद, संचार और व्यापार की सबसे प्रमुख भाषा बन गई है। दूसरे इसको संविधान द्वारा राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाने की भूल महर्षि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द और गाँधी के सहयोगियों ने कर दी थी जो यह सोचते थे कि कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के बिना स्वाधीन नहीं रह सकता। क्योंकि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है अपितु चिन्तन प्रक्रिया एवं ज्ञान के विकास और विस्तार का हिस्सा होती है। उसके नष्ट हो जाने का मतलब है एक समाज, एक संस्कृति और राष्ट्र का नष्ट हो जाना।

प्रकारान्तर से वह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतिरूप है। अतः भाषा उस देश और समाज की विराट ऐतिहासिक धरोहर भी है। इसलिए उसका संवर्धन और संरक्षण एक अनिवार्य दायित्व है। भारत में हिन्दी के कुछ समाचार-पत्रों के मालिकों ने सोची-समझी व्यावसायिक रणनीति के रूप में अपने स्टॉफ को हिन्दी की वाक्य रचना में 30-40 प्रतिशत अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर समाचारों को छापने का आदेश दिया। इस प्रकार समाचार-पत्रों में हिन्दी को हिंग्लिश के रूप में चलाना आरंभ किया। हमारे एक पत्रकार ने हिन्दी को हिंग्लिश बनाकर छापे जाने के भावी खतरों के प्रति सचेत भी किया और बताया कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ने ही हमें ढाई सौ साल तक गुलाम बनाए रखा। आज आप हिन्दी के होकर हिन्दी को समाप्त करने का इतिहास क्यों रच रहे हैं? इसके लिए आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। हमारे ये समाचार-पत्रों के मालिक हिन्दी का काम कर रहे हैं। यों अब तक हिन्दी को पालने-पोसने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

हिन्दी के अखबारों के ये विदेशी मालिक कहते हैं कि हिन्दी से हिंग्लिश करके उसको खत्म करने के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाइए जिसमें बाहर से पता ही न चले कि भाषा को जानबूझ कर बदला जा रहा है। जबकि सुनने और बोलने वाले को ऐसा लगे कि यह तो ऐतिहासिक प्रक्रिया है। कुछ

www.thearyasamaj.org

समाचार-पत्रों की भाषा में चुपचाप यह परिवर्तन हो भी रहा है। इसका तरीका यह है कि आप अपने समाचार-पत्र की भाषा में हिन्दी के रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले शब्दों को हटाकर उनकी जगह अंग्रेजी शब्दों को डालने लगे। जैसे सामान्य बोलचाल के ये शब्द हैं- रेल, इंजन, मोटर, पोस्टकार्ड, टेलिविज़न, रेडियो, स्टेशन, रोड, पिन, पेन, स्टिक, राशन आदि। धीरे-धीरे इस शब्दावली में रोज़-रोज अंग्रेजी के नए शब्द मिलाते जाएँ जैसे- माता-पिता के लिए, पेरेन्ट्स, छात्र-छात्राओं के लिए स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, संडे, ट्रेफिक, ट्रांसपोर्ट, अंडरटेकिंग, सिस्टम, मेडिसिन आदि।

कुछ समय बाद, शब्दों के बजाए अंग्रेजी के वाक्यांश जोड़ने शुरू कर दें, जैसे- आउट ऑफ ऑर्डर, बियाँड डाउट, नन अदर दैन, आउट ऑफ रीच, मॉर्निंग आवर्स, पीक आवर्स, ईवनिंग क्लॉसिज़, इलेक्शन शैड्यूल, डेली रुटीन आदि। इसके पश्चात् कुछ समय में कारकों और क्रियाओं के सिवाय सारे वाक्य अंग्रेजी शब्दों के भी दे सकते हैं, जैसे एक अखबार के निम्नलिखित वाक्य को देखिए-

"मोर्निंग आवर्स के ट्रेफिक के कारण डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेफिक रूल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जेनुइन ऐफर्ट्स किए हैं वे रोड को ऐक्सीडेंट प्रोन बना रहे हैं क्योंकि सारे व्हीकल्स लेफ्ट टर्न लेकर यूनिवर्सिटी की रोड को ब्लॉक कर देते हैं। इस प्रॉब्लम्स का इमीडिएट सोल्यूशन मस्ट है।"

यही भाषा का हिंग्लिश रूप है।

भाषा की हत्या का अंतिम चरण या उस पर अंतिम आक्रमण उसकी लिपि का रोमनीकरण है अर्थात् हिन्दी को नागरी लिपि के बजाए रोमन लिपि में छापना। जो आज की पीढ़ी हिन्दी को रोमन लिपि में पढ़ेगी उसके लिए हिन्दी अपठनीय हो जाएगी। इसी षड्यंत्र की शिकार गुयाना और ट्रिनिडाड की हिन्दी हुई है। अब वहाँ हिन्दी रोमन में लिखी जाती है।

हमें हिन्दी के वर्तमान स्वरूप को बनाए रखने के लिए उसमें अंग्रेजी शब्दों के व्यापक प्रयोग को रोकना होगा ताकि यह हिंग्लिश न बन जाए और इसका शुद्ध स्वरूप बना रहे।

संपा..

www.thearyasamaj.org

सांख्य दर्शन (अध्याय-1, सूत्र-70)

-डॉ. भारत भूषण विद्यालंकार

यहाँ प्रश्न होता है कि यदि भोग आत्मा को होता है और संसार की रचना आत्मा के भोग के लिए है तो उसमें यह आपत्ति हो सकती है कि संसार की रचना तो किसी और ने की है, जिसे सारे जगत् का अधिष्ठाता कहा जाता है तथा उसे भोगता है जीवात्मा। इस प्रकार यहाँ यह दोष है कि न करने वाले (अकर्ता) को भी फल की प्राप्ति हो जाती है। सूत्रकार इसे अगले सूत्र में स्पष्ट करता है, सूत्र है-

अकर्तुरपि फलोपभोगोऽन्नाद्यवत्।।70।।

अर्थ- (अकर्तुःअपि) न करने वाले को भी (फलोपभोगः) फल का उपभोग (प्राप्ति) होती है (अन्नादिवत्) अन्न आदि के समान।

भावार्थ- सामान्यतः लोक में देखा जाता है कि एक व्यक्ति रसोई आदि बनाकर तैयार करता है, पर उसे भोगने (खाने) वाले अन्य अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। इसी प्रकार संसार की रचना में जीवात्माओं का हाथ न होने पर भी वे इसके भोगने वाले हो सकते हैं। सूत्रकार सामान्यतः लोक में प्रयुक्त होने वाले एक उदाहरण के द्वारा प्रत्यक्ष अर्थ के समान परोक्ष अर्थ को समझाने का प्रयास कर रहा है। यह दृष्टान्त केवल इतने अंश पर लागू है कि करने वाला अन्य होने पर भी भोगने वाले उससे भिन्न हो सकते हैं।

व्यावहारिक बात कह कर सूत्रकार ऊपर कहे दोष का वास्तविक समाधान अगले सूत्र मे करेगा।

सी-2ए, 16/90 जनकपुरी, नई दिल्ली-10058

"Your ancestors were not uncivilized men living in forests. They were great men who enlightened this world. Your history is not a bundle of defeats. It is the eulogy of the conquerors of the world. Your Vedic Scriptures are not the songs of cowherds. They are the immortal truths which shaped mighty souls like Sri Rama and Sri Krishna." — -Maharshi Dayananda

www.thearyasamaj.org

राजनय, अर्थशास्त्र तथा नीतिशास्त्र के मूर्धन्य ज्ञाता–आचार्य चाणक्य

–डॉ. भवानीलाल भारतीय

भारत के पुरातन राजनयविदों, अर्थशास्त्रियों तथा नीतिशास्त्र के प्रवक्ताओं में विष्णुगुप्त चाणक्य अन्य नाम कौटिल्य विश्व विश्रुत है। वे कुटिल गोत्रोत्पन्न आचार्य चणक के पुत्र होने के कारण चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए जब कि उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। मगध राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) उनकी जन्मस्थली थी, जब कि उनका अध्ययन तथा अध्यापन सुदूर तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ था। तब का तक्षशिला आज पाकिस्तान में है और टैक्सला नाम से जाना जाता है। मगध में उस समय नन्द वंश के अत्याचारी राजा धननन्द का शासन था। यूनान के सम्राट् सिकन्दर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत छोटे–छोटे गणराज्यों में विभक्त था। इस विदेशी आक्रमण से शिक्षा लेते हुए चाणक्य ने अपने शिष्य चन्द्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर बिठाया और सेल्यूकस जैसे यूनानी सेनापति का मान मर्दन करने में सफल हुआ। सत्ता मद में चूर धननन्द ने जब आचार्य चाणक्य का अपमान किया तो चाणक्य ने शिखा खोल कर नन्दवंश के सर्वनाश की प्रतिज्ञा की और अपनी दूरदर्शिता तथा नीतिमत्ता से इसे पूरा कर दिखाया। चाणक्य की इस प्रतिज्ञापूर्ति तथा अत्याचारी नन्दों के विनाश की कथा संस्कृत के नाटककार विशाखदत्त ने स्वरचित मुद्राराक्षस में और हिन्दी के प्रख्यात नाटककार जयशंकर 'प्रसाद' ने चन्द्रगुप्त नाटक में उल्लिखित की है।

अपने व्रत को पूरा करने के अनन्तर चाणक्य ने चन्द्रगुप्त के राज्य का मंत्री पद सँभाला, परन्तु एक निश्चित आयु प्राप्त कर उसने महामंत्री के इस पद से अवकाश ले लिया और सर्वस्व त्यागी बनकर वानप्रस्थी का–सा जीवन व्यतीत करने लगा। उसके इस त्यागमय, तपस्यामय जीवन की झाँकी विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में इस प्रकार प्रस्तुत की है– यह है

www.thearyasamaj.org

मगध साम्राज्य के विगत मंत्री के निवास की जीर्ण-शीर्ण पर्ण कुटिया जो राजधानी के बाहर एकान्त स्थान में है। इसके भीतर झाँकें तो देखेंगे कि एक कोने में यज्ञ में प्रयुक्त समिधाओं तथा भोजन के लिए जलाई जाने वाली अग्नि को प्रज्वलित करने वाले गोमय के उपलों को तोड़ने के लिए एक पत्थर (उपल) पड़ा है। दूसरी ओर पवित्र यज्ञ कर्म में प्रयुक्त होने वाली कुशाओं का ढेर पड़ा है। जो आचार्य के शिष्यों ने एकत्र किया है। इस कुटिया पर सूखने के लिए समिधाएँ पड़ीं है। इस जीर्ण कुटी की छत सूखी लताओं से छाई हुई है, परन्तु इसमें जो छिद्र हैं उनमें चाँदनी रात में चन्द्रमा की शीतल किरणें प्रवेश कर जाती हैं।

राजनीति निपुण आचार्य विष्णुगुप्त ने अपना प्रख्यात ग्रन्थ अर्थशास्त्र लिखा जो राजनय तथा अर्थनीति (Political Economy) का प्रामाणिक ग्रन्थ है। आचार्य विष्णुगुप्त शासन कार्य में साम, दान, दण्ड और भेद के चतुर्विध साधनों के प्रयोग के समर्थक थे। इस ग्रन्थ में शास्त्र, कूटनीति, प्रजापालन तथा शत्रु विनाश के विविध उपायों का विस्तार से वर्णन है। व्यावहारिक आदर्श जीवन व्यतीत करने के सूत्र उनके नीति-ग्रन्थ चाणक्य नीति में उपलब्ध होते हैं। सरल अनुष्टुप श्लोकों के इस नीतिग्रन्थ में बालकों का लालन-पालन, शिक्षा, व्यवहार-ज्ञान, माता, पिता तथा आचार्य के इति कर्त्तव्य, राजाओं के कर्तव्य-कर्म आदि का विस्तृत निरूपण किया है। चाणक्य के काल तक जैन, बौद्ध आदि अवैदिक मतों का प्रचार-प्रसार हो चुका था। बौद्ध मठों और हिन्दू मंदिरों में पाखण्ड, अनीति तथा दुराचार ने प्रवेश पा लिया था। चाणक्य ने धर्म के नाम पर प्रचलित पाखण्डों, अनाचारों तथा ठगाई का पर्दाफाश किया। कौटिलीय अर्थशास्त्र तथा चाणक्यनीति के विभिन्न संस्करण (वृद्ध चाणक्य, लघु चाणक्य आदि) संस्कृत वाङ्मय के अमर रत्न हैं।

3/4 शंकर कालोनी, श्री गंगानगर

www.thearyasamaj.org

हिन्दी दिवस
(14 सितम्बर)

-इन्द्रदेव गुलाटी

भारत में सरकार द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जिनमें हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा और पूरे देश में लिखी और बोली जाती है। इसकी व्यापकता के कारण हिन्दी को देश की राजभाषा बनाया गया था।

अंग्रेजी को बाद में सह राजभाषा का दर्जा अनिश्चित काल के लिए दे दिया गया, इससे हिन्दी का विकास रुक गया है। समय-समय पर विभिन्न राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया जबकि इन राज्यों को ऐसा करने की कतई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वहाँ के मुस्लिमों ने हिन्दी को स्वीकार कर लिया था।

पंजाब में हिन्दी को कम करने, अंग्रेजी को सहराजभाषा बनाने में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा देने के विरुद्ध हिन्दीभाषी नेताओं द्वारा डटकर विरोध नहीं किया गया। जब आर्यसमाज ने पंजाब में हिन्दी का प्रचार आरम्भ किया था तब पंजाबी कहीं भी नहीं थी और अब हिन्दी को बहिष्कृत कर दिया है। प्रायः कुछ शब्दों को अपवादस्वरूप छोड़कर, हिन्दी में जैसा लिख जाता है प्रायः वैसा ही पढ़ा जाता है। इस प्रकार हिन्दी सरल तथा वैज्ञानिक भाषा है।

रामपुर में अरबी/फारसी विश्वविद्यालय की माँग करने वालों की सोच/मानसिकता बदली जाए। उन्हें प्रेरित किया जाए कि वे हिन्दी माध्यम वाले सामान्य विश्वविद्यालय पर सहमत हों ताकि वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ें और प्रगति करें। वे पहले उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानकर उर्दू विश्वविद्यालय खोलने की माँग करते थे, पर अब आजमखाँ मुसलमानों की भाषा अरबी-फारसी बताने लगे हैं।

राजस्थानी को अलग भाषा की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए और मैथिली की मान्यता वापिस ली जाए क्योंकि ये दोनों हिन्दी की बोलियाँ हैं, भाषाएँ नहीं हैं।

सावरकर विचारमंच, धर्मशाला छोटेलाल,
मामन चौकी के सामने, बुलन्दशहर (उ०प्र०)

www.thearyasamaj.org

हिन्दी : क्या कहता है संविधान

-प्रवीण कुमार

भारतीय संविधान की धारा 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा होगी। धारा 343 (2) में अंग्रेजी को आधिकारिक कार्य में उपयोग संविधान आरंभ होने की तिथि को 15 वर्ष (25 जनवरी 1965) की अवधि तक जारी रखने के लिए कहा गया है। धारा 343 (3) में संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तदनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 (संशोधित 1967) की धारा (3) (2) के अनुसार 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने की बात कही गई है। इस अधिनियम में यह भी बताया गया है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जैसे कि प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस संप्रेषण तथा संसद के सदनों या सदन में रखे जाने वाले आधिकारिक पत्र, संविदाएँ, करार, लाइसेंस, अनुज्ञा-पत्र, निविदा सूचनाएँ और निविदा के प्रपत्र आदि।

- It is wise to keep in mind that neither success nor failure is ever final.
- Management is doing things right; leadership is doing the right things.
- A superior man is modest in his speech, but exceeds in his action.
- Don't let what you cannot do, interfere with what you can do.
- Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs.

www.thearyasamaj.org

सरकारी स्तर पर है हिन्दी सिखाने की व्यवस्था

-सुनील कटारिया

देश में कई ऐसी सरकारी योजनाएँ हैं, जिनके बारे में आम जनता को पता नहीं होता। यह भी शायद कम लोगों को पता होगा कि हिन्दी भाषा के आशुलेखन, टंकण और अनुवाद सिखाने के लिए देशभर में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं।

आमतौर पर ज्यादातर लोगों में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वे हर सुधार की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही समझते हैं। हर काम के लिए कह दिया जाता है कि आखिर सरकार यह क्यों नहीं करती, वह क्यों नहीं करती? ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से प्रयास नहीं किए जाते। राष्ट्रभाषा को जन-जन की भाषा बनाने के लिए सरकार की तरफ से इसके प्रशिक्षण के लिए देशभर में विभिन्न केन्द्र शुरू किए गए हैं। आइए डालते हैं इन पर एक नजर:

हिन्दी शिक्षण योजना

भारत सरकार का राजभाषा विभाग 'हिन्दी शिक्षण योजना' चलाता हैं। इसके अंतर्गत 119 पूर्णकालिक और 49 अंशकालिक केंद्रों के माध्यम से हिन्दी भाषा में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये केन्द्र देशभर में फैले हुए हैं। इसी तरह, 23 पूर्णकालिक और 38 अंशकालिक केन्द्रों के माध्यम से हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल मिलाकर, हिन्दी में प्रशिक्षण के लिए सरकारी स्तर के 229 केन्द्र बनाए गए हैं। यह हिन्दी शिक्षण योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए हैं।

'हिन्दी शिक्षण योजना' के अंतर्गत पाँच क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चैन्नई और गुवाहाटी में बनाए गए हैं। ये कार्यालय देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर-मध्य, दक्षिण और

www.thearyasamaj.org

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 'हिन्दी शिक्षण योजना' को शैक्षिक व प्रशासनिक सहयोग प्रदान करते हैं। पूर्वोत्तर के लोगों में हिन्दी सीखने की इच्छा लगातार बढ़ रही है। इस माँग को पूरा करने के लिए ही गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया। साथ ही इम्फाल, एजवाल और अगरतला में हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं।

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

इस संस्थान की स्थापना 31 अगस्त 1985 को की गई थी। इसकी स्थापना राजभाषा विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिन्दी भाषा/टंकण और आशुलेखन से संबंधित पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण देना और हिन्दी भाषा और हिन्दी टंकण में पत्राचार पाठ्यक्रम चलाना है। 1988 में मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में तथा 1990 में हैदराबाद में इसके उप-संस्थान खोले गए। इस संस्थान के अंतर्गत कंप्यूटर पर भी हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था देश के लगभग सभी टंकण/आशुलेखन केन्द्रों पर की गई है।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना मार्च 1971 में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केंद्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि के विभिन्न प्रपत्रों, साहित्य आदि के विभिन्न प्रकार के अनुवाद के लिए की गई थी। यह ब्यूरो इस काम में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। आरंभ में सिर्फ नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में ही तीन माह का अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। बाद में मुंबई, कोलकाता और बैंगलूरु में भी अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए। यह ब्यूरो केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए अल्पावधि अनुवाद पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।

www.thearyasamaj.org

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

इनके अतिरिक्त केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) भी पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहा। इन पाठ्यक्रमों में गृहमंत्रालय के प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के अलावा अहिन्दी भाषियों और विदेशियों के लिए आरंभिक और उच्च स्तर के हिन्दी प्रवेश और हिन्दी परिचय पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय मुख्यरूप से हिन्दी के प्रचार और प्रसार की कई योजनाएँ भी चला रहा है।

वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग

यह संस्था हिन्दी के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी व प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण करती है। इसने सरकारी कार्यालयों के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण किया है, जिसका प्रयोग सभी सरकारी विभागों द्वारा किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त इसका मुख्यकार्य वैज्ञानिक शब्दावली निर्माण है। इस शब्दावली का प्रयोग वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकों के लेखन में किया जा रहा है। समय के साथ इसमें निरन्तर संशोधन और संवर्धन होता रहता है।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान

यह भी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित संस्था है। यह संस्थान आगरा और दिल्ली में विदेशी छात्रों को हिन्दी का शिक्षण देता है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्य कार्य गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में शिक्षकों को बी.एड, और एम. एड. के समकक्ष पारंगत और निष्णात पाठ्यक्रमों के द्वारा हिन्दी का शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान करना है।

संस्थान दिल्ली में अनुवाद और पत्रकारिता का पाठ्यक्रम भी चलाता है।

www.thearyasamaj.org

ऋषि दयानन्द और हिन्दी

स्वामी दयानन्द सरस्वती गुजरात के थे और उनकी मातृभाषा गुजराती थी। गुरु विरजानन्द जी दण्डी के विद्यालय में रह कर उन्होंने संस्कृत भाषा और व्याकरण पर पूर्ण अधिकार कर लिया था, और वे धड़ल्ले से संस्कृत बोल और लिख सकते थे। स्वामी जी को हिन्दी बोलने लिखने में जितना प्रयास करना पड़ता था, उतना संस्कृत में नहीं करना पड़ता था। वह संस्कृत में भाषण देते थे।

हिन्दी आर्य भाषा

उन्हें केशवचन्द्र सेन आदि कुछ महानुभावों ने सलाह दी थी कि यदि वे अपनी बात भारत की सामान्य जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उन्हें अपना भाषण और लेखन हिन्दी में करना चाहिए। स्वामी जी ने इस परामर्श को सही समझा और सहर्ष स्वीकार कर लिया। हिन्दी को उन्होंने आर्य भाषा नाम दिया।

हिन्दी का महत्व स्वामी जी ने ही नहीं, ईसाई पादरियों ने भी पहचाना। उन्होंने न केवल अपनी धर्म पुस्तिका हिन्दी में छपवाई, अपितु अपने विद्यालयों द्वारा भी हिन्दी का प्रचार किया।

स्वाधीनता संग्राम की भाषा

भारत के स्वाधीनता संग्राम की भाषा हिन्दी थी। उन दिनों सभी राजनेता, चाहे वे बंगाली हो या गुजराती, मराठे हों या तमिलभाषी, हिन्दी में भी भाषण देते थे। जिसे भी अपनी बात इस देश की साधारण जनता को सुनानी होती, उसे हिन्दी का सहारा लेना पड़ता था। चाय और आयोडीन नमक का विज्ञापन हिन्दी में ही करना पड़ता था, क्योंकि हिन्दी गाँव-गाँव और घर-घर तक पहुँचती है। देशभक्त और बलिदानियों की भाषा हिन्दी थी। जब तक आजादी की लड़ाई चलती रही, हिन्दी का बोलबाला रहा। वह पनपनी रही और फैलती रही। परन्तु शासन की भाषा अंग्रेजी रही।

भारत में स्वाधीनता क्रान्ति से नहीं, शान्ति से आई। यह लड़

www.thearyasamaj.org

कर नहीं जीती गई; बेबस अंग्रेजों ने अनिच्छापूर्वक दान में दी। जिसे वे चाहते थे, उसे दी; जैसे वे चाहते थे, वैसे दी; जैसी उन्होंने चाही, वैसी दी।

क्रान्ति नहीं हुई

स्वाधीनता के बाद शासन का तंत्र ठीक वही रहा, जो शासन से पहले था। एक भी अंग्रेज समर्थक सरकारी कर्मचारी पद से हटाया नहीं गया। यहाँ तक कि पहला गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही रहा, जो 14 अगस्त 1947 तक वायसराय था। शिक्षा, कानून, नीतियाँ, सब ज्यों की त्यों रहीं।

संविधान में हिन्दी को राजभाषा घोषित तो कर दिया गया, परन्तु नौकरशाहों ने उसे इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं होने दिया। प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कश्मीर के प्रश्न को ही नहीं उलझाया, हिन्दी के प्रश्न को भी सदा के लिए उलझा दिया। हिन्दी राजभाषा न बनने पाये, इसका निषेधाधिकार उन्होंने भारत के हर राज्य को दे दिया। जब तक भारतीय संघ का एक भी राज्य हिन्दी का विरोध करता रहेगा, हिन्दी भारत की राजभाषा नहीं बन सकेगी, ऐसी संविधानिक व्यवस्था वह कर गये।

हिन्दी प्रदेश में तो हिन्दी राजभाषा बने

हिन्दी भाषी प्रदेश अपने आपमें बहुत विशाल है– राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड पूरी तरह हिन्दीभाषी प्रदेश है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और आन्ध्रप्रदेश में हिन्दी समझी जाती है। यदि यह विशाल भूभाग हिन्दी के नाम पर संगठित हो जाये और उसमें प्रशासन, न्याय, और शिक्षा का कार्य हिन्दी में होने लगे, तो हिन्दी का उद्धार हो सकता है। परन्तु दुख की बता यह है कि हिन्दी प्रदेश ही हिन्दी के मामले में सबसे पिछड़ा है। हिन्दी को बढ़ावा देने की भावना सबसे कम उत्तर प्रदेश और बिहार में है।

साम्प्रदायिकता

देश को सम्प्रदायों के आधार पर विभक्त कर दिया गया है।

www.thearyasamaj.org

मुसलमान उर्दू को अपनी सांस्कृतिक भाषा मान बैठे है। राजनीतिक दलों ने इस विषय में उन्हें बढ़ावा दिया है। ईसाई न जाने किस गणित से अंग्रेजी के समर्थक बन गये हैं। बनना ही हो, तो उन्हें हिब्रू या लैटिन का समर्थक होना चाहिए। परन्तु वे हैं, अंग्रेजी के समर्थक।

ऐसी दशा मे आर्य समाज क्या कर सकता है? पूरे देश में आर्य समाजों और आर्य समाजी शिक्षा संस्थाओं का जाल फैला हुआ है। यदि संकल्प कर लें, तो आर्य समाज हिन्दी के लिए बहुत कुछ कर सकता है।

आर्य समाज और डी. ए. वी.

इस समय देश में आर्य समाज की असली जीवन्त शक्ति गुरुकुल और डी. ए. वी. संस्था, हैं इनके बिना आर्य समाज बहुत छोटी संस्था रह जाएगी।

परन्तु डी. ए. वी. संस्था का ध्यान हिन्दी पर, भारतीय संस्कृति पर उतना नहीं है, जितना होना चाहिए। पब्लिक स्कूल अधिक खोले जा रहे हैं, जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। अंग्रेजी माध्यम से आप सही भारतीय नहीं बन सकते। आप जवाहरलाल नेहरू बन सकते हैं, गाँधी नहीं बन सकते; और दयानन्द, श्रद्धानन्द और हंसराज तो बिल्कुल ही नहीं। आर्य समाज को हिन्दी के लिए कुछ करना चाहिए।

उपहार जनरल स्टोर,
रेलवे रोड, हरिद्वार

विचार विथि

श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास। *-गाँधी*

श्रद्धा और विश्वास ऐसी संजीवनी बूटी है कि जो एक बार घोल कर पी लेता है वह चाहने पर मृत्यु को भी पीछे धकेल देता है। *-अमृतलाल नागर*

श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्त्व-स्वीकार।
-रामचन्द्र शुक्ल

देवता उसी की सहायता करते हैं जो श्रम करता है। *-ऋग्वेद*

www.thearyasamaj.org

हिन्दी सदियों से देश की सम्पर्क भाषा है

-प्रो. चन्द्रप्रकाश आर्य

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। यह देश की राष्ट्रभाषा पहले है, राजभाषा बाद में बनी। हिन्दी सदियों से देश की सम्पर्क भाषा रही है और सांस्कृतिक एवं धार्मिक एकता की भाषा रही है। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली कड़ी रही है। देश के राजनेता शासक तथा सरकारें . भले ही इसे राजभाषा के रूप में उचित सम्मान न दे पाई हों किन्तु यह देश की करोड़ों जनता की भाषा है। कश्मीर से कन्याकुमारी पर्यन्त तथा असम से गुजरात तक यह सारे भारत को जोड़ने वाली भाषा है।

यद्यपि देश में गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, आदि कई प्रान्तीय/क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, जिनको संविधान में उचित स्थान प्राप्त है किन्तु वे अपने-अपने क्षेत्र तक सीमित है, जबकि हिन्दी पूरे देश में फैली हुई है। इसका प्रसार पूरे देश में है। यह देश में सर्वाधिक बोली जाती है। इसके समझने वालों की संख्या तो 84 प्रतिशत से अधिक है। उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली की यह सरकारी भाषा है। चंडीगढ भी इसका केन्द्र है। पंजाब इसका पुराना केन्द्र है। यहाँ से खासकर जालन्धर से हिन्दी के कई अखबार प्रकाशित होते रहे हैं।

हिन्दी देश की सांस्कृतिक एवं धार्मिक एकता की भाषा है। देश के सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अधिकांशतया हिन्दी में ही होते हैं। हरिद्वार, प्रयाग (इलाहाबाद), कुरुक्षेत्र एवं उज्जैन जाने वाले तीर्थयात्री परस्पर हिन्दी में सम्पर्क करते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने वाले तीर्थयात्री हिन्दी द्वारा ही परस्पर सम्पर्क करते हैं। अमरनाथ की यात्रा पर प्रतिवर्ष

www.thearyasamaj.org

लगभग दो लाख लोग पहुँचते हैं। उनकी सम्पर्क भाषा हिन्दी होती है। कुरुक्षेत्र के सूर्य मेले के अवसर पर कई लाख लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी सम्पर्क भाषा हिन्दी ही होती है। दक्षिण में तिरुपति, रामेश्वरम् जाने वाले तीर्थयात्री हिन्दी के माध्यम से ही परस्पर सम्पर्क करते हैं, अंग्रेजी में नहीं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों/प्रवचनों/उपदेशों/योग एवं अध्यात्म सम्बन्धी चर्चाओं में अधिकाधिक जनता तक सन्देश पहुँचाने के लिए हिन्दी का ही प्रयोग किया जाता है। धार्मिक संगठनों, संस्थाओं एवं योग अध्यात्म केन्द्रों द्वारा हिन्दी में अनेक साप्ताहिक पाक्षिक एवं मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित की जा रही हैं।

हिन्दी रेडियो एवं दूरदर्शन की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है। व्यावसायिक क्षेत्रों में भी हिन्दी का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज रेडियो और खासकर दूरदर्शन पर जितने व्यावसायिक विज्ञापन हिन्दी में प्रसारित होते हैं, उतने किसी अन्य भाषा में नहीं, क्योंकि हिन्दी के द्वारा व्यावसायिक कम्पनियाँ तथा अन्य उद्योग पूरे देश की जनता तक पहुँच सकते हैं। दूरदर्शन के व्यावसायिक चैनल अधिकांशतः हिन्दी में अपना प्रसारण करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उनको देख सकें।

हिन्दी देश की राजनीति की भाषा है। पंचायत चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों तक वोट हिन्दी में माँगे जाते हैं या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में। लोकसभा में अधिकांश नेता, सांसद हिन्दी में बोलते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उनकी बात को समझ सकें, सुन सकें, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के मंत्री भी हिन्दी में बोलने का प्रयास करते हैं ताकि जनता से उनका सम्पर्क हो सके। जिस तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध होता था उसी तमिलनाडु की पहले अन्ना डी.एम.के. तथा बाद में डी. एम.के. पार्टी केन्द्र में पिछली भाजपा गठबंधन सरकार के साथ

www.thearyasamaj.org

शामिल थी। भाजपा के अध्यक्ष वैकैया नायडू अच्छी हिन्दी बोलते हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी जब भी देश की जनता को संबोधित करती हैं तो वे अपना भाषण हिन्दी में ही देती हैं।

इस तरह हिन्दी देश की सांस्कृतिक एवं धार्मिक एकता की भाषा है। यह देश की राजनीति की भाषा है। आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में सशक्त भाषा है, किन्तु आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम हिन्दी को उचित स्थान नहीं दिलवा पाये। प्रशासन, राजकाज तथा कार्यालयों में, सरकारी व गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों में, भारत सरकार के उपक्रमों में अंग्रेजी का वर्चस्व जारी है। हिन्दी को लागू करवाने के लिए, उसको अपनाने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए प्रतिवर्ष हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा, हिन्दी मास आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिन्दी के प्रति हमारी मानसिकता बदली नहीं है, हिन्दी को हमने अपनाया नहीं है, उसे अपनी भाषा नहीं समझा है। इसी कारण हिन्दी अपने ही देश में पराई हो रही है। क्या किसी अन्य देश में ऐसा होता है? केवल प्रशासन तथा सरकार के सहारे, हिन्दी समारोहों के बल पर हिन्दी को आगे नहीं बढाया जा सकता। इसके लिए स्वैच्छिक रूप से हिन्दी को अपनाना होगा। कर्तव्य समझकर, अपनी भाषा समझकर, देश की राष्ट्रभाषा समझकर इसे व्यवहार में लाना होगा। हिन्दी हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। यह देश की कोटि-कोटि जनता की भाषा है। जनसाधारण की भाषा है, देश के आम आदमी की भाषा है। गाँव से लेकर संसद तक की भाषा है। इसको अपनाकर ही हम और आप देश की जनता के साथ न्याय कर सकते हैं।

432/7, करनाल (हरियाणा)

www.thearyasamaj.org

नाम हिन्दी का और काम अंग्रेजी का

–डॉ. वेदप्रताप 'वैदिक'

राष्ट्रभाषा के साथ जैसा छल कपट भारत में होता है, वैसा दुनियाँ के किसी भी देश में, किसी भी भाषा के साथ नहीं होता। उसका ओहदा महारानी का है और काम वह नौकरानी का करती है। दुर्योधन के दरबार में उसे द्रोपदी की तरह घसीटा जाता है और भारत के बड़े से बड़े योद्धा जनवादी कामरेडों, लोहियावादी नेतागण, संघी संचालकगण, भाजपा के हिन्दीवीरों, गाँधी की माला जपने वाले कांग्रेसियों और सर्वोदयियों तथा दयानंद के शिष्यों सभी के मुँह पर ताले पड़े रहते हैं वे बगलें झाँकते हैं और खींसे निपोरते हैं हिन्दी दिवस पर हिन्दी की आरती उतारते हैं और तिलक अंग्रेजी के माथे पर कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी हमारी नाक होती है और स्वराष्ट्र में उसी नाक को हम अंग्रेजी के बूटों पर रगड़ते रहते हैं।

अंग्रेजी अकेली ही ज्ञान की खिड़की नहीं

अंग्रेजी का विरोध बेमानी है। किसी भाषा या साहित्य से कोई मूर्ख ही नफरत कर सकता है। कोई स्वच्छा से किसी विदेशी भाषा को पढ़े, बोले, लिखे, इनमें क्या बुराई है? जो जितनी अधिक भाषाएँ जानेगा, उसकी उतनी ही अधिक खिड़कियाँ खुलेंगी। उसकी दुनियाँ उतनी अधिक बड़ी होगी। सम्पर्कों की, सूचनाओं की, अनुभूतियों की, अभिव्यक्तियों की। लेकिन भारत में कुछ अजीब–सा खेल चल रहा है। स्वभाषाओं के सारे दरवाजे बन्द किए जा रहे हैं और विदेशी भाषाओं की सारी खिड़कियाँ भी। जो काम सारे दरवाजे और सारी खिड़कियाँ मिल कर करते हैं, वह काम सिर्फ एक खिड़की से लिया जा रहा है। उस खिड़की का नाम है– अंग्रेजी।

अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते, तो कुछ नहीं जानते। आपने छियासठ साल खुद को तपाया है। राजनीति में गलाया है। करोड़ों लोगों को अपने भाषणों से सम्मोहित किया है और अब जबकि आप अपने दम खम से प्रधानमंत्री बने हैं, तो भी आपको यह सिद्ध करने के लिए कि आप प्रधानमंत्री है, झख मार कर अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, अफसरों के लिखे हुए भाषणों को तोते की तरह पढ़ना पड़ता है और वाणी के सम्राट् होते हुए भी बच्चों की तरह हकलाना पड़ता है। जब

www.thearyasamaj.org

राष्ट्र के सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति का यह हाल है, तो बेचारे साधारण नागरिक का क्या पूछना?

भारत में सब कुछ अंग्रेजी से ही मिलता है

अपनी भाषा के जरिए उसे क्या मिल सकता है? सब कुछ मिल सकता है लेकिन कोई भी बेहतर चीज नहीं मिल सकती। हर बेहतर चीज के लिए उसे अंग्रेजी की शरण में जाना पड़ेगा। बेहतर शिक्षा, बेहतर नौकरी, बेहतर व्यापार, यहाँ तक हि बेहतर जिन्दगी भी अंग्रेजी के बिना किसी को नसीब नहीं। क्या ऐसी मजबूरी दुनियाँ के किसी अन्य देश में किसी ने देखी है? विदेशी भाषा का ऐसा रुतबा ब्रिटेन के किसी भी पुराने गुलाम देश में नहीं है। लगभग पचास पुराने गुलामों में से भारत ही ऐसा देश है, जो भाषाई दृष्टि से किसी भी वर्तमान गुलाम से भी बड़ा गुलाम है। भाषा की गुलामी, गुलामियों में सबसे बड़ी गुलामी होती है। जो राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं, सबसे पहले वे भाषाई गुलामी के गट्ठर को उतार फेंकते हैं। यह काम रूस में लेनिन ने किया, तुर्की में कमाल पाशा ने किया, इंडोनेशिया में सुकर्ण ने किया और एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के दर्जनों छोटे-बड़े नेताओं ने किया। लेकिन भारत में जैसा भाषाई पाखंड चला, वैसा कहीं भी नहीं चला।

संविधान का उल्लंघन

संविधान का जैसा उल्लंघन भारत में होता है, दुनियाँ में कहीं नहीं होता। संविधान में हिन्दी को राजभाषा बनाया गया और कहा गया कि धीरे-धीरे अंग्रेजी को हटाया जाए। संविधान को लागू हुए बासठ साल हो गए और इन बासठ सालों में हुआ क्या? प्रयत्न यह हुआ कि अंग्रेजी को जमाया जाए। धीरे-धीरे वह जम गई। ऐसी जम गई कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की भी हिम्मत नहीं कि उसे छेड़ सकें। उन्हें अंग्रेजी का इस्तेमाल करते जरा भी शर्म नहीं आती, जरा भी डर नहीं लगता। वे एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते कि भारत आजाद देश है और वे आजाद देश के प्रतिनिधि हैं। जब वे अंग्रेजी में बोलते हैं तो वे अपने आचरण से देश के लगभग 95 करोड़ लोगों को गूँगा बहरा बना देते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या उन्हें समझ बूझ नहीं पाती। सिर्फ तीन से पाँच प्रतिशत लोगों के लिए वे रेडियो, आकाशवाणी, संसद, सरकार

www.thearyasamaj.org

और देश का समय खराब करते हैं। कोई उन्हें डाँटने फटकारने वाला नहीं है। देश में कोई दयानन्द नहीं है, कोई गाँधी नहीं है, कोई लोहिया नहीं है। जो कुछ प्रभावशाली बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, समाजसेवी हैं वे मर्यादा का कोड़ा चला सकते हैं लेकिन या तो वे लिहाज मुरव्वत में फँसे रहते हैं या उन्हें भी बेहतर नौकरियाँ और अन्य मेहरबानियों का इन्तजार रहता है। नतीजा यह है कि हर साल हिन्दी दिवस आता है और आजाद भारत के मुँह पर गुलामी का एक नया पलस्तर थोपते हुए आगे बढ़ जाता है।

हिन्दी धुर ऊपर से शुरू हो

हिन्दी को अगर उसका उचित स्थान मिलना है, तो यह काम ऊपर, एकदम ऊपर से शुरू होना चाहिए। यह तर्क बिल्कुल बोदा है कि संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी बोलना सरल है और भारत में कठिन। यह तर्क अटलजी के मुँह से तो बिल्कुल शोभा नहीं देता था। भारत में हिन्दी बोलने से उन्हें किसने रोका था? जिस महान वक्ता को हिन्दी में सुनने के लिए हैदराबाद, चैन्नई, बैंगलूर, कोचीन, कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल जैसे अहिन्दी शहरों में लाखों की भीड़ जमा होती रही हो, वह प्रधानमंत्री बनने पर हिन्दी बोलने से कतराए, यह एक बड़ा रहस्य है। अटलजी के हिन्दी विरोधी भी उनका हिन्दी का भाषण सुनना चाहते थे कि अटलजी बोलेंगे। इसके बावजूद संसद में और उसके बाहर वे अंग्रेजी में लिखे हुए भाषण क्यों पढ़ते हैं? इसलिए नहीं कि उन्हें अहिन्दीभाषियों के नाराज होने का डर है। अगर डर होता, तो वे तमिल या बांग्ला में पढ़ते। उन्हें डर हैं, नौकरशाहों का। उन नौकरशाहों का, जो इस देश के असली मालिक हैं और जिनकी कामकाजी भाषा अंग्रेजी है। नौकरशाहों को अगर नाराज कर दिया, तो सरकारी नीतियों को प्रतिपादित करने वाले भाषण कौन लिखेगा? जो नीति बनाता है, वही भाषण लिखता है। नेताओं का काम उन्हें पढ़ देना भर है। लोकतंत्र का इससे बढ़ कर मजाक क्या हो सकता है? यह नौकरशाही तख्ता पलट है। जिस दिन देश के सर्वोच्च नेता संसद में और उसके बाहर अपने सर्वोच्च नीति वक्तव्य हिन्दी में देंगे उस दिन नौकरशाही का तख्ता अपने आप पलट जाएगा। क्या यह कम दुखद नहीं था कि अटलजी जैसे प्रखर

www.thearyasamaj.org

वक्ता लाल किले से अपना हिन्दी भाषण लिखकर देने लगे थे।

नेताओं पर दबाव डाला जाए

देश के उच्च पदस्थ नेताओं को मजबूर किया जाना चाहिए कि वे अपने समस्त औपचारिक भाषण देश और विदेश में हिन्दी में दिया करें। अगर अनुवाद की सुविधा उनके पास नहीं होगी, तो किसके पास होगी? हिन्दी सलाहकार समितियों में यह पूछा जाना और बताना हास्यास्पद है कि क्लर्कों ने कितने पत्र हिन्दी मे लिखे और कितने अंग्रेजी में? असली प्रश्न तो यह है कि मंत्रालय के सचिवों ने एक दूसरे को, अपने-अपने मंत्रियों को और मंत्रिमंडलीय सचिव को कितनी टिप्पणियाँ और कितने पत्र हिन्दी में लिखे? कितने कानून मूल हिन्दी में बने और कितने नीति वक्तव्य हिन्दी में लिखे गए? इसी प्रकार मूल प्रश्न यह है कि भारत के विश्वविद्यालयों में पी.एच.डी. के कितने शोध प्रबंध (विज्ञान और कला विषयों के) हिन्दी में लिखे गए? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब से 45 साल पहले अन्तरराष्ट्रीय राजनीति का शोध प्रबंध हिन्दी में लिखने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बाद आज तक जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में एक भी शोध प्रबंध हिन्दी में नहीं लिखा गया। जब तक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी शीर्ष पर नहीं होगी, भारत का आम आदमी सम्मान की जिन्दगी नहीं जी पाएगा।

हिन्दी भाषी राज्यों में

समस्त हिन्दी भाषी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पहले एक सम्मेलन बुला कर सम्पूर्ण हिन्दी क्षेत्र के लिए एक संयुक्त नीति का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि मानक हिन्दी, मानक वर्तनी, मानक शिक्षा माध्यम, मानक मूल ग्रंथ और मानक शासकीय भाषा नीति बने और उसके बाद अहिन्दी भाषी मुख्यमंत्रियों से भाषा नीति के बारे में उनका सीधा संवाद आयोजित किया जाना चाहिए। यह भी जरूरी है कि परस्पर भाषा शिक्षण, ग्रंथानुवाद, शब्दकोष आदि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर तैयार किए जाएँ। त्रिभाषा सूत्र के ढोंग को चलाने के बजाय द्विभाषा सूत्र को पूरी ईमानदारी से चलाया जाए।

www.thearyasamaj.org

संविधान की अस्थायी धारा 370 के हटाने हेतु याचिका खारिज क्यों?

-बलराज मधोक, प्रधान भारतीय जनसंघ

माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान की अस्थायी धारा-370 को निरस्त करने हेतु भूतपूर्व सांसद तथा भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. बलराज मधोक की जनहित याचिका को बिना कोई कारण स्पष्ट किए 7 जनवरी 2004 को खारिज कर दिया। धारा-370 जैसे राष्ट्रीय महत्त्व और जनभावना के विषय पर समुचित बहस (दलीलों) और फैसले के कारणों को उल्लेखित किए बिना दिए गए इस निर्णय ने उन करोड़ों को उल्लेखित किए बिना दिए गए इस निर्णय ने उन करोड़ों देशवासियों को सदमा पहुँचाया है, जो गत 59 वर्षों से इस ध ाारा को निरस्त करने के लिए प्रयासरत रहे हैं। यह फैसला स्वयं उच्चतम न्यायालय की घोषित उस मूल अवधारणा के भी विपरीत है जिसमें 'सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट के जजों को न्याय करते समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने तथा फैसले के कारणों को स्पष्ट करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस निर्णय ने निश्चित ही धारा 370 की समाप्ति चाहने वाले जनसाधारण और सुप्रीम कोर्ट के सामने कई अहम प्रश्न खड़े कर दिए हैं? ऐसे मुद्दों में कार्यपालिका की भूमिका होती ही नहीं है, जबकि देश की संपूर्ण विधायिका दलगत स्वार्थों में आकंठ निमग्न हो चुकी हो। विधायिका के कर्ताधर्ताओं यानि विभिन्न दलों के नेताओं के लिए राष्ट्रीय हित तथा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से ज्यादा महत्वपूर्ण वोट तथा कुर्सी को बचाए रखना रह गया है। इसका जीवंत उदाहरण दोनों प्रमुख राजनैतिक दलों-कांग्रेस-भाजपा द्वारा धारा 370 के मुद्दे पर गत 59 वर्षों से जनसाधारण को गुमराह करते रहना है। गम्भीर प्रश्न उठता है कि 'ठगा सा सहसूस कर रही देश की जनता कहाँ जाए' तथा धारा 370 को निरस्त करने की बात किससे करें? सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्पष्ट एवं तटस्थता के

www.thearyasamaj.org

लिए धारा 370 पर सुनाए इस निर्णय के बाद किससे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवादी भावना, आंदोलन और आवश्यकता के बावजूद कुछ निर्णय बदले क्यों नहीं जा सकते? नए फैसले क्यों नहीं लिए जा सकते?

चूंकि न्यायपालिका के पास असीमित अधिकार हैं और अनेक बार ये राष्ट्रीय हितों को संरक्षण, सुरक्षा एवं दिशा देने में सफल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले वर्ष समान नागरिक संहिता (धारा-44) लागू करने के लिए केन्द्र को दिया गया दिशा-निर्देश ऐसा ही उदाहरण है। इसे देश का दुर्भाग्य कहें या नियति कि न्यायपालिका सहित सभी पक्षों के जानते हुए भी कि एक न एक दिन धारा 370 को निरस्त करना अपरिहार्य है, इस संबंध में याचिका रद्द करना और विशेषकर बिना कारण बताए अस्पष्ट एवं तटस्थ फैसला न्यायपालिका की महान गरिमा के प्रतिकूल ही है।

अब देश की लोकतांत्रिक परंपराओं तथा तीनों अंगों-कार्यपलिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के लिए धारा 370 का मुद्दा कई मायनों में चुनौती तथा गहराई से चिंतन का विषय बन कर उभरा है। संभवतः विश्व राजनैतिक परिदृश्य में ये अनोखी मानसिक चोर प्रवृत्ति और अदूरदर्शिता का मसला है। ये विचित्र ही दशा है कि केन्द्र सरकार के मुखिया घटक भाजपा के घोषणा-पत्र में इसे हटाने का संकल्प है, करोड़ों देसवासियों का उसमें समर्थन भी है परंतु हटाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खींच लिए हैं।

जबकि निर्णय के कारण स्पष्ट नहीं करने के पीछे भारत-पाक संबंधों और राष्ट्रीय हितों के दृष्टिगत न्यायालय की कोई सोच हो सकती है तथा लोकसभा चुनाव पर इस विषय का प्रभाव नहीं पड़ने देना भी एक अन्य कारण हो सकता है, परन्तु इसके लिए याचिका खारिज न करके सुनवाई स्थगित करना ही सही कदम होता। चूंकि बिना कारण बताए याचिका खारिज

www.thearyasamaj.org

करने से ये बात पूर्णतयाः स्पष्ट हो गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क, सुझाव, कारण और चिंताएँ अकाट्य रूप से प्रमाणित हैं। वैसे भी जम्मू-कश्मीर से जुड़े इस मसले पर संभवतः वयोवृद्ध राष्ट्रव्यापी युगपुरुष प्रो. बलराज मधोक से ज्यादा आधिकारिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता। चूंकि मैंने स्वयं (लेखक) याचिका की विषय वस्तु से लेकर समस्त कार्यवाही और समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रव्यापी दौरा किया, जम्मू कश्मीर भी गया और वहाँ से लगभग दो दर्जन राजनैतिक-गैर राजनैतिक संगठनों ने याचिका के समर्थन में प्रस्ताव पास करके दिया। इसी तरह लगभग पूरे देश से याचिका के समर्थन में एक लाख हस्ताक्षर भी हुए। यह सब तथ्य सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में लाए जा चुके हैं।

यहाँ संक्षेप में धारा 370 की उत्पत्ति और अब महसूस की जा रही समाप्ति की अनिवार्यता के संबंध में संपूर्ण देश को कुछ बिन्दुओं पर गंभीर आत्म अवलोकन, चिंतन एवं अडिग निर्णय लेने की आवश्यकता पर चर्चा जरूरी है। क्या कोई इससे इन्कार करेगा कि धारा 370 सांप्रदायिक तुष्टिकरण का परिणाम तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू की अदूरदर्शिता और कश्मीर के मुस्लिम नेता शेख अब्दुल्ला की अतिमहत्वकांक्षिता की उपज है? क्या यह सच नहीं कि संविधान सभा के अधिकतर सदस्य और तत्कालीन विधिमंत्री एवं संविधान सभा के अध्यक्ष महान विभूति डॉ. भीमराव अम्बेडकर इसके विरोध में थे तथा उनके विरोध के परिणामस्वरूप ही इसके साथ 'अस्थायी' शब्द जोड़ा जा सका था? क्या यह भी झूठ है कि पं. नेहरू को बिना मंत्रालय के मंत्री श्री गोपालास्वामी आयंगर से धारा 370 का मसौदा पेश करवाना पड़ा था और जल्दी ही हटा लिए जाने के आश्वासन के बाद ही वे इसे शामिल करवा सके थे?

उपरोक्त सभी तथ्य अकाट्य रूप से सत्य हैं और तथ्य पवित्र होते हैं एवं इतिहास को झुठलाने की नापाक कोशिशों को रोकते हैं। इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि धारा 370

www.thearyasamaj.org

जहाँ देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के लिए आत्मघाती तथा पाकिस्तान और उसके द्वारा प्रायोजित आंतकवादियों के लिए संजीवनी बूटी सिद्ध हुई है, वहीं पाक की काली करतूतों को विश्व समुदाय से छुपाने में भी ढाल का काम करती है। इस बात का पुख्ता प्रमाण पाकिस्तानी नेताओं और उसके विदेश मंत्रालय द्वारा बार-बार दिए जाते रहे इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि 'अगर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो धारा 370 क्यों?

पिछले 59 वर्षों से राष्ट्रीय बहस और राजनैतिक मुद्दा रही धारा 370 पर अब स्थिति स्पष्ट हो ही जानी चाहिए। कांग्रेस-भाजपा दोनों ने ही इस मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष की भूमिका में अपने-अपने हित साधे हैं। अतः भारतीय नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट से अपील करने का मौलिक अधिकार है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट धारा 370 को बनाए रखने के पक्षधर दलों एवं तत्वों को इस पर श्वेत पत्र जारी करने का निर्देश दें। इस कार्य के लिए संपूर्ण देश के राष्ट्रवादियों को फिर से एकजुट होना होगा और प्रो. मधोक को पुनर्विचार तथा कारण स्पष्ट करने के लिए पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। यही एकमात्र विकल्प है और आशा है कि इस बार न्यायपालिका राजनैतिक स्वार्थों के चक्रव्यूह में संवर्धित धारा 370 से देश को बचाने के लिए ठोस दिशा प्रदान करेगी।

जे-394, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-60

- The words of the wise and virtuous, are precious pearls.
- Every day do something that will inch you closer to a better tomorrow.
- Experience teaches slowly, and at the cost of mistakes.
- First say to yourself what you would be; and then do what you have to do.
- Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

www.thearyasamaj.org

गोवध-निषेध और भारत सरकार

-श्री पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति

भारत की प्राचीन परम्पराओं में गोवध निषेध का विशेष स्थान है। धार्मिक दृष्टि से देखें या राजनैतिक दृष्टि से, गोवध को भारत में बुरा माना जाता रहा है। जब तक राज्य की ओर से गोवध को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, तब तक तो वह एक धार्मिक भावना के रूप में विद्यमान रहा, परन्तु जब देश की प्रजा को अनुभव होने लगा कि कुर्बानी अथवा भोजन के निमित्त से गौओं के वध को राज्य की अनुमति या प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है, तब देश में जो धार्मिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, उसने गोवध-निषेध की भावना का रूप धारण किया। वह भावना यवनों, शकों, हूणों के आक्रमण काल से आरम्भ होकर मुसलमानों के राज्यकाल तक निरन्तर बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक समय आया जब भारत के दूरदर्शी मुगलशासकों ने उसकी सत्यता के सामने सिर झुकाया, और गोवध को आज्ञा द्वारा देश भर में बन्द कर दिया।

अंग्रेजों के राज्यकाल के प्रारंभ में पाश्चत्य विचारों की बाढ़ ने न केवल गो-रक्षा, अपितु अहिंसा की भावना को शिथिल करने में थोड़ी-सी सफलता प्राप्त की, परन्तु शीघ्र ही भारतीय-आत्मा जाग उठी और साधारण प्रजा की ओर से गोवध-निषेध की माँग की जाने लगी। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में महर्षि दयानन्द ने भारत भर में गोवध को बन्द कराने का आंदोलन चलाया था। उसके पश्चात् अनेक महानुभावों और व्यक्तियों ने गोवध-निषेध के आन्दोलन को जारी रखा, परंतु अंग्रेज सरकार की नीति यह थी कि ऐसे आन्दोलन, जिनका कुछ धार्मिक महत्व हो और उन्हें साम्प्रदायिक महत्व दिया जा सके, उन्हें चलने तो दिया जाये,

www.thearyasamaj.org

परन्तु उचित और युक्तिसंगत होने पर भी उन्हें स्वीकार नहीं किया जाए, क्योंकि स्वीकार कर लेने से संघर्ष दूर हो जाता, जिसे ब्रिटिश शासक दूर नहीं होने देना चाहते थे।

महात्मा गाँधी गोरक्षा के परम समर्थक थे। जब खिलाफत आन्दोलन जारी हुआ, और महात्मा गाँधी उसके नेता बने तब उन्होंने इस आशय की घोषणा की कि खिलाफत मुसलमानों की गौ है, मैं खिलाफत की मदद करके आशा करता हूँ कि वे मेरी गौ की रक्षा में सहायक होंगे। गौओं की सेवा और रक्षा के निमित्त उन्होंने एक संघ भी कायम किया था।

अंग्रेजों के चले जाने, और अपना राज्य स्थापित हो जाने पर भारतीय जनता को यह आशा थी कि गोवध-निषेध को भारतीय संविधान का भाग बना दिया जायेगा, परन्तु उनकी आशा पूरी नहीं हुई। गोवध-निषेध को भारतीय संविधान का भाग नहीं बनाया गया। इसका मूल कारण यह प्रतीत होता है कि यद्यपि अंग्रेज-भारत से चले गए हैं, परन्तु अंग्रेज-मन यहीं विद्यमान है। हमारी शासन-व्यवस्था आज भी अंग्रेज मॉडल पर चल रही है। ऊपर का आवरण बदल गया है, परन्तु मन और वाणी पर अंग्रेजी भावों और भाषा का प्रभुत्व पूरी तरह विद्यमान है।

यदि गम्भीरता से विचार किया जाये तो प्रतीत होता है कि गोवध-निषेध के सम्बन्ध में भारतीय जनता की माँग को स्वीकार करना राष्ट्रीय सरकार के लिये उचित भी है और उपयुक्त भी। उचित तो इसलिए है कि हमारा राज्य प्रजातन्त्र है, और प्रजा का बहुत बड़ा भाग गो-वध को बन्द कराने के पक्ष में है। मेरा तो निश्चय है कि यदि देश के समस्त नागरिकों की सम्मतियों का संग्रह किया जाए तो तीन चौथाई से भी बहुत अधिक सम्मत्तियाँ गोवध-निषेध के पक्ष में

www.thearyasamaj.org

जायेंगी। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि यदि संसद् में गोवध-निषेध का प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता तो उसका मुख्य कारण पार्टी का नियन्त्रण है। देश का अत्यधिक बहुमत गोवध-निषेध के पक्ष में है। इस कारण यह उचित है कि सरकार उसे स्वीकार करे।

यदि उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो भी गोवध-निषेध को कानूनी तौर पर स्वीकार कर लेना उत्तम है। अकबर और जहाँगीर जैसे बादशाहों ने नीति समझ कर ही गोवध को बन्द किया था। भारत आज भी कृषि प्रधान देश है, और आगे भी रहेगा। यह भी निश्चित बात है कि जहाँ भारतवासियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से गौ का दूध अनिवार्य है, वहाँ खेती के काम के लिए बैल का स्थान कोई नहीं ले सकता। देखने में ट्रैक्टर बहुत बड़ा है और बड़ी भूमियों पर अधिक उपयोगी है। परन्तु भारत के 99 फीसदी कृषिकारों की भूमियाँ छोटी-छोटी हैं। उनमें खेती का एकमात्र साधन बैल है। इस प्रकार गोवंश की रक्षा कृषि प्रधान भारत के लिए प्राणवायु के समान है।

भावना की दृष्टि से भी गोवध-निषेध का मूल्य बहुत अधिक है। भारतवासियों की अपनी सरकार यदि देशवासियों की लगभग सर्वसम्मत भावना के सामने सिर झुका देगी तो उसकी जड़ें पाताल में चली जायेंगी। कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि अंग्रेजों से लड़ने में सफलता प्राप्त होने के कारण कांग्रेस को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई है, उसने कांग्रेस के नेताओं के मन पर यह प्रभाव डाल दिया है कि उनका प्रभाव अमर है। भारत में गोवध को संविधान द्वारा बंद किया जाय, यह करोड़ों भारतवासियों की अभिलाषा है। उसे स्वीकार करना भारत की प्रजातन्त्र सरकार का कर्तव्य तो है ही, नीति की दृष्टि से उचित भी है।

www.thearyasamaj.org

A Man to Remember

(Jayaprakash Narayan)

-Gopalkrishna Gandhi

In a country which once had a selfless leader like Jayaprakash Narayan, there is not much idealism left in politics today.

If the Loknayak were living today–what a dream!–he would have been a 110. Impossible, one would say. And one would be right, although I do know two very agile and remarkable women who are with us today-Fori Nehru and Sushila Sahayat a 103.

This also means that if Jayaprakash Narayan (JP) could have lived to the not so unimaginable age of 85, he would have been with us until 1987.

Which further means that he would then have seen the Emergency come and go, the first, non-Congress government do likewise, Indira Gandhi return to power. He would have seen the intensification of the political crisis in Punjab, Operation Bluestar and would have been horrified by Indira Gandhi's assassination and Rajiv Gandhi's installation as prime minister amid tragic violence inflicted on innocent Sikhs.

'Would have seen'?

Would J P have just seen all that as a mute spectator?

Of course not. Health permitting, he would have been an active participant in the major political proceedings of the day and made his own unique contributions, influencing vitally their unfolding.

Corruption would have preoccupied him, not in terms of the role of money - 'black' as well as white-in the business of elections, politics, and indeed in society as such. Accountability or 'mera paisa, mera hisab', as Aruna Roy has been putting it, would have been I think, an obsession with him. JP could obsess.

And he would have thrown himself into the vortex of Left extremist violence to quell it and would have also told the powers that be that it was their neglect of tribal and peasant India that was throwing impoverished and desperate populations into the embrace of the gun.

Equally, he would have asked the protagonists of violence if

www.thearyasamaj.org

they realised what they were doing.
Would have, would have.....
Why this nostalgic dream?
Because we miss a moral lodestar, a tribune for the people. But before we lament further, in the year of the Lord 2012, see what JP was doing in 1922, 1932, 1942, 1952, 1962 and, finally, in 1972.

1922: A friend, Bhola Pant, then in the US asked Jayaprakash to come to the US for higher studies. Jayaprakash had been married a year-and-a-half. Rather optimistically he asked Prabhavati to accompany him-a maritally admirable but financially implausible proposition. Besides, Prabhavati had her own preferences. She refused to go, choosing to remain instead at Gandhiji's Ashram where Kasturba and the Mahatma looked upon her as the daughter they did not have. Jayaprakash was to spend a total of seven years in the US - 1922 to 1929- earning his teachers' unqualified appreciation but working at restaurants and working on farms picking and drying fruit to sustain himself.

1932: Recongnised by Jawaharlal Nehru as a man of uncommon calibre and courage, JP became a acting general secretary of the Congress. When Civil Disobedience got into full swing and party organs were banned, JP went underground. Madras Police and railway staff at the railway station in Madras spotted him. "Are you Jayaprakash Narayan?". "Why do you want to know?" "Because you are under arrest". This was to be JP's first jail term.

1942: Sentenced to nine months rigorous imprisonment, JP was jailed in Hazaribag. On November 8, 1942, while Diwali was being celebrated with Hindu warders having been given a night off and Muslim warders served a special feast, J P, with five others, tied dhotis into a length of knots and climbing one on to other's shoulders, let themselves down on the outside of a chosen wall and escaped. JP was now the stuff of legend.

1952 : Free India's first election that year saw the Congress win 362 of the Lok Sabha's 500 seats and over 65% of the seats in the assemblies. The Socialist Party to which JP belonged suffered a crushing defeat. Nehru sportingly offered

www.thearyasamaj.org

cooperation in Parliament and even suggested a possible merger with the Congress. JP set stiff conditions for the merger, which included not positions for himself or his colleagues but abolition of pensions to princes and landlordism, redistribution of land to the landless, nationalisation of banks, insurance companies and mines, regulation of public servants emoluments. The conditions were not met and no merger took place.

1962: The early 60s were abuzz with speculation on whether JP would be Nehru's successor at the helm of government. This, despite the fact the JP had become a pillar or Vinoba Bhave's Bhoodan campaign, albeit with certain differences with that saint-scholar. After the Chinese offensive in October 1962, JP wished to lead a peace brigade of shanti sainiks to the area to offer non-violent resistance to the aggressor and to appeal to both sides to stop fighting. But Vinoba opposed the idea. JP deferred to the senior.

1972 : At prime Minister Indira Gandhi's behest, JP toured world capitals in 1971 to explain India's stand on East Pakistan and to ask for aid to Bangladesh. His standing with world leaders, especially those of a socialist persuasion was unrivalled. JP's tour had its impact but it was disastrous for JP's health. He suffered a heart attack in November 1971 and remained hospitalised until early 1972. Discharged from hospital, he learnt that Prabhavati had been diagnosed as having cancer. She was to die the following year. "There is no life or zest left in me..." he wrote to condolers.

2012.

In 1967, when JP was only 65, President Radhakrishnan's term was coming to a close. Minoo Masani proposed that Jayaparakash be the nation's choice for India's third President J.P. demurred saying Bihar's governor Zakir Husain, already being discussed for the high office, would be by far more suitable for that office.

Today, as we recall JP's heroism with nostalgia, his self abnegation with a sigh, we wonder why it is that deals have become the lubricant of our politics and craftiness its principal skill. And where all idealism has flown.

Diplomat and Governor

www.thearyasamaj.org

My Country, My Bharat

-Dr. Jagdish Chandra Sharma

The most ancient civilisation
The land of sears and saints
Punctuated by savage invasions
Nalanda and Taxila
Were burnt
But its spirit remained
unhurt
Two great rivers,
Hinduism and Buddhism surged
from this sea
And flooded the Eastern Asia
With sweet life-giving breeze
No Jihad, no crusades, no tease.
Ahimsa Paramodharmah.
Her Goal of Peace
Prithviraj let off Ghaznavi
After the latter's every defeat,
A rare example of bravery
But Ghaznavi after his
First victory treated Prithvi savagely
A rare example of mental-slavery
Nobel laureates in different fields
Raised the honour of my motherland
different languages, different religions
A plural society, unity in diversity
keeping off diversity
Safety she passed through
Religious tortures, political killings
Foiled all attempts at conversion
A heaven for refugees,
Jews, Tibetans and Parsis
Fight with non-violence
Shook the foundations of
The Mighty British Empire
It was really a wonder
She also fought violence
With violence
on occasions with greater thunder.
She has the nuclear capacity
Her peaceful nature avoids rapacity
Now inundating America
With Software
All other nations looking with stare
The biggest democracy of the world,
Soiled by corruption and crime,
Too much of democracy,
Courts Western, justice desi
Still my Bharat
did not lose her soul
Stands like rock with Noble high goal.

www.thearyasamaj.org
RNI Reg. No. DELBIL/2007/22062 Postal Regd. No. DL(W) 10/2143/2011-2013

ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये सामं प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये। वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ। यजुः36/1।।

अर्थ – हे प्रभो आपकी कृपा से मैं ऋग्वेदादि विज्ञानयुक्त वाणी को प्राप्त होऊँ और यजुर्वेदादि के अभिप्राय के अनुकूल मननयुक्त मन को प्राप्त होऊँ। इसी प्रकार सामवेद के अनुकूल निदिध्यासन युक्त प्राण को सदैव प्राप्त करूँ। 'वागोजः' आप मुझे वाणी बल वक्तृत्व बल और मनोविज्ञान बल देंवें। उस अन्तर्यामी प्रभु की कृपा से मैं इन्हें प्राप्त करूँ। आपकी कृपा से मैं 'सहौजः' शारीरिक बल और स्वास्थ्य प्राप्त करूँ। 'मयि प्राणापानौ' मेरे शरीर में प्राणवायु और अपान वायु स्थिर और आयुवर्धक हों। हे प्रभो! आपकी कृपा से मैं सदा सुखी होकर आपकी आज्ञा और उपासना में तत्पर रहूँ।

Oh God, Kindly show Your mercy to us. May we, succeed in realising the truths enshignned inthe Rigveda and expound them to the masses. May we attain the real import of the text of the Yujurveda. In the same manner, may we through meditation learn the true connotation of the Samaveda.

Similarly we may also learn the truth enshrined in the Atharvaveda and expound their import to the superior vital force.

Oh God,by your grace may our 'Pranas' and 'Apanas' the inferior vital force lengthen our span and protect our vital parts, bringing about perfect health and strength to our body.

Printed by - Friendsprintofast, New Delhi-58